समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डारक के पत्रांक–1818 दिनांक–28.07.2016 एवं 1858 दिनांक–01.08.2016 से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राकेश कुमार सिंह, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक, कोतवाली थाना काण्ड संख्या–349/2016 में दिनांक–24.07.2016 को रात्रि 09:30 बजे न्यायिक हिरासत में थें तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात दिनांक–01.08.2016 को श्री सिंह द्वारा अपना योगदान प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक में दिया गया।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1912/स्था0 दिनांक–06.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9–2(क) के आलोक में न्यायिक हिरासत में रहने के कारण श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् दिनांक–01.08.2016 को प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक में योगदान दिये जाने के कारण उक्त नियमावली के नियम–9–3(i) के आलोक में योगदान स्वीकृत किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक–3128/स्था0 दिनांक–11.11.2016 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर प्राप्त हुआ। श्री सिंह पर टिकट काटने के आड़ में अवैध शराब बिक्री करने एवं विभागीय आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–3297/स्था0 दिनांक–31.12.2016 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डारक को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों के आधार पर संचालन पदाधिकरी द्वारा विभागीय कार्यवाही के विधिवत् संचालन के पश्चात् अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना के पत्रांक–57 दिनांक–17.04.2018 के माध्यम से प्रतिवेदन –सह– मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समेकित विवरणी निम्नांकित है :–

आरोप	आरोपी का कारण पृच्छा	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1. नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के पत्रांक–3029/अप0 शा0 दिनांक–06.10.2016 से प्राप्त सूचना के अनुसार वादी अविनाश कुमार सिंह, पु0नि0 –सह– थाना अध्यक्ष कोतवाली, जिला–पटना के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक–24.07.2016 को सिटी सेन्टर होटल के बेसमेंट स्थित जय हनुमान ट्रैवल्स के कार्यालय में टिकट काटने के आड़ में अवैध शराब बेचने एवं रॉयल स्टेज विदेशी शराब, रूपया के साथ अन्य अभ्युक्त के साथ आपको भी गिरफ्तार किया गया। वादी द्वारा आपके विरूद्ध कोतवाली थाना काण्ड संख्या–349/16 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 47(ए)/63 बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आप दिनांक–	मेरे विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–क नगर पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–3029/अ0प0शा0 दिनांक–06.10.2016 वादी अविनाश कुमार सिंह, पु0नि0 –सह– थाना अध्यक्ष, कोतवाली, जिला–पटना के प्रतिवेदन पर आधारित है। जिसमें यह उल्लेखित है कि दिनांक–24.07.2016 को सिटी सेन्टर होटल के बेसमेन्ट स्थित जय हनुमान ट्रैवल्स के कार्यालय में टिकट काटने के आड़ में अवैध शराब बेचने एवं रॉयल स्टेज विदेशी शराब, रूपया के साथ अन्य अभियुक्त के साथ मुझे गिरफ्तार किया गया था। आरोप एवं गवाहों का लिये गये बयान, जो साक्ष्य के रूप में दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उसमें मुझे जय हनुमान ट्रैवल्स के मालिक के रूप में संदिग्ध रूप में दर्शाया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जय हनुमान ट्रैवल्स का मालिक नहीं हूँ। मुझे जय हनुमान ट्रैवल्स से सिर्फ इतना ही मतलब है कि यदा–कदा टिकट का आरक्षण हेतु जाता था, जिसकी पुष्टि गवाहों के बयान से भी की जा सकती है। मेरा अवैध शराब का बिक्री एवं सेवन से दूर–दूर तक भी कोई संबंध नही है। उक्त तिथि को दिनांक–24.07.2016 को मै सिटी सेन्टर होटल के बेसमेंट में स्थित जय हनुमान ट्रैवल्स में टिकट आरक्षण कराने के क्रम में गया था। जहाँ दुर्भाग्यवश अवैध शराब के आरोप में वहाँ उपस्थित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना में पहुँचने पर थानाध्यक्ष को यह जानकारी हो गयी थी कि मैंने शराब का सेवन नही	आरोपी पर इस कंडिका में टिकट काटने के आड़ में अवैध शराब बिक्री करने का आरोप है। आरोपी का कहना है कि जय हनुमान ट्रैवल्स उनका नही है, वे सिर्फ वहाँ आरक्षण कराने के क्रम में गये थें, जहाँ दुर्भाग्यवश अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें पकड़ लिया गया। आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन परीक्षण से स्पष्ट होता है कि उन्हें दिनांक–24.07.2016 को सिटी सेन्टर होटल के बेसमेंट स्थित जय हनुमान ट्रैवल्स के कार्यालय में टिकट काटने के आड़ में अवैध विदेशी शराब, रूपया के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर इस कंडिका में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

फोन नं0—0612—2219545 (का0)
फैक्स नं0—0612—2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

24 2016 से न्यायिक अ मे रहे। आपका उ कृत बिहार सरकारी सेव आचार नियमावली के रूद्ध है।	किया था, इसलिए मेरा चिकित्सा जाँच नही कराया गया और गवाहों के बयान से यह भी स्पष्ट हो गया था कि मैं जय हनुमान ट्रैवल्स का मालिक नही हूँ, तब थाना के डायरी एवं गवाहों के बयान से संतुष्ट होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा मुझे दो दिनो के अन्दर ही जमानत पर छोड़ दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि मैंने न तो उक्त तथाकथित जय हनुमान ट्रैवल्स का मालिक ही हूँ और न ही शराब का सेवन किया था।	
2 सरकारी निदेश के आ में मदिरा सेवन के रूद्ध दिनांक—05.04.20 को आपके द्वारा इस आ का संकल्प लिया गया था कि मैं शराब का सेव नही करूँगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी श से दूर रहने के लि प्रेरित करूँगा। पर आपके द्वारा उक्त सं के विरूद्ध उक्त कृ किया गया, जो वि आदेश के उ घन का द्योतक है।	यह बात सही है कि मैंने उस आशय का संकल्प लिया था कि मैं शराब का सेवन नही करूँगा। साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा, जिसका मैन अक्षरशः पालन करता हूँ। मैं शराब का सेवन नही करता हूँ तथा अन्य लोगों को भी शराब नही पीने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली का अक्षरशः पालन करता हूँ और कभी आदेश का उल्लंघन नही करता हूँ। मेरे उपर जो भी आरोप गठित है, वह संदेह के आधार पर आधारित है, जिसका कोई साक्ष्य नही है और इसकी सत्यता माननीय न्यायालय द्वारा मुझे जमानत देने में भी पाया गया। अतः अनुरोध है कि मेरा स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मुझे तथाकथित आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।	इस कंडिका में आरोपी पर विभागीय आदेश के आलोक में मदिरा सेवन के विक्रय दिनांक—05.04.2016 को शराब का सेवन नही करने तथा दूसरे लागों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने संबंधी संकल्प लेने के बावजूद भी इस संकल्प के विरूद्ध करने का आरोप है। आरोपी का कहना है कि वे कभी शराब का सेवन नही करते है तथा अन्य लोगो को भी शराब नही पीने के लिए प्रेरित करते है। आरोपी का स्पष्टकीरण अपने कृत को छुपाने का प्रयास मात्र है। साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्हें विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। **आरोपी पर प्रपत्र—क में गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है,** परन्तु मामला बिहार उत्पाद संशोधित अधिनियम—2016 से जुड़ा है एवं कोतवाली थाना काण्ड संख्या—349/16 दिनांक—24.07.2016 दर्ज है तथा अनुसंधान जारी है। ऐसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय आने के उपरान्त हीं कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र—'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोप को देखते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक—948/स्था0 दिनांक—10.05.2018 द्वारा श्री सिंह से अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कहा गया है कि मैं इस काण्ड में गलत—फहमी का शिकार हो गया हूँ। जबकि सच्चाई यह है कि इस मामले से मेरा कोई लेना—देना नही है। श्री सिंह ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कहा है कि थाना के द्वारा शराब सेवन की पुष्टि नही होने के कारण न्यायालय द्वारा दो दिनों में हीं जमानत पर छोड़ दिया गया।

नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के ज्ञापांक—1518/अप0शा0, पटना सिटी, वि0प्र0सं0—1260/2016 दिनांक—18.09.2016 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न कर भेजते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना द्वारा इस काण्ड को धारा—47 (ए)/63 बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम—2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त—1. बैजनाथ कुमार, 2. राकेश कुमार 3. उमेश यादव एवं 4. अप्राथमिकी अभियुक्त—4 के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

बिहार राज्य में देशी/विदेशी शराब बेचने/रखने, पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, फिर भी प्राथमिकी अभियुक्त पर सरकार द्वारा बनाये गये कानून को धत्ता बताते हुए शराब बिक्री करने की पुष्टि हुई है।

श्री सिंह के विरूद्ध शराब की अवैध बिक्री का आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। उनका कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। आरोपी सेवक को सेवा में रखे जाने का कोई औचित्य नही है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया कार्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। बिहार राज्य के सभी सेवको द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—4878 दिनांक—01.04.2016 के आलोक में शपथ पत्र भी भरा गया था, जिसका उल्लंघन इनके द्वारा किया गया है, जो सरकारी सेवक के

फोन नं0–0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आचरण के प्रतिकूल है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–4(iv) में सार्वजनिक स्थान में मादक पेय का सेवन वर्जित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा एवं पुलिस उपधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना के पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए **मैं कुमार रवि (भा0प्र0से0), जिलाधिकारी, पटना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संशोधित–2007 के नियम 14(xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री राकेश कुमार सिंह, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक सम्प्रति अंचल कार्यालय, मसौढ़ी को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ।**

श्री राकेश कुमार सिंह, लिपिक से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. कर्मचारी का नाम :– श्री राकेश कुमार सिंह
2. पिता का नाम :– स्व0 महंथ सिंह
3. पद का नाम :– लिपिक
4. कार्यालय का नाम :– प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक सम्प्रति अंचल कार्यालय, मसौढ़ी
5. वेतनमान :– 9300–34800
6. ग्रेड पे :– 4200/–
7. अस्थायी पता :– ग्रा0–सगुना, पो0–दानापुर, जिला–पटना
8. स्थायी पता :– ग्रा0+पो0–मझरिया, जिला–बक्सर।

ह0

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–.. XXX-35/2016......1869...... /स्था0, पटना, दिनांक–......27/09/18

प्रतिलिपि :– श्री राकेश कुमार सिंह, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, पण्डारक सम्प्रति अंचल कार्यालय, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डारक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), पटना को पटना जिला के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा (सामान्य शाखा), पटना को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री सिंह की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री सिंह को कराकर तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला एवं सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच –सह– संचालन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/18

जिलाधिकारी,
पटना।